न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 62 / 2022

निर्णय दिनांक :– 15/06/2023

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. मुकेश पुत्र श्योजी जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी रूघनाथपुरा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान (राज.)
2. मनभर देवी पत्नी श्योजी जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी रूघनाथपुरा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान (राज.)
3. रामनिवास पुत्र श्योजी जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी रूघनाथपुरा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान (राज.)
4. श्योजी पुत्र बद्रीलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी रूघनाथपुरा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान (राज.)

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार महोदय तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थी–

उपस्थितिः–

श्री भारत सिंह सोलंकी
अधिवक्ता प्रार्थीगण

तहसीलदार देवली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए बाबत पत्थरगढी किये जाने

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 47 खसरा नम्बर 110 रकबा 0.47 है0, खसरा नम्बर 89 रकबा 0.47 है0 वाके ग्राम रूघनाथपुरा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि के सीमा चिन्ह मिट चुके है तथा सीमाएं अस्पष्ट हो गई है जिसके कारण मोके पर प्रार्थीगण एवं पडोसी खातेदारों के मध्य उक्त भूमि की सीमा एवं कब्जे को लेकर गंभीर विवाद होने की संभावना है। प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत श्रीमान तहसीलदार देवली को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार है:– उक्त आराजी आवेदक की खातेदारी में दर्ज है और कब्जेकाश्त है। अन्य खातेदार का कब्जा नहीं है। आवेदक ने बताया कि उक्त ख. नं. के पड़ोसी ख. नं. 90,109, 112 तथा 111 के खातेदार से सीमा विवाद है। आवेदक का जिन खातेदारो से विवाद है उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है। पड़ोसी खातेदार जिनसे सीमा विवाद है उनको पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। उक्त आराजी के सम्बन्ध में किसी न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त नही है । आवेदक की खातेदारी भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमीत राजकीय भूमि नहीं है। उक्त आराजी का पूर्व में सीमाज्ञान नही हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार देवली को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पड़ोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 में अंकित खाता संख्या 47 खसरा नम्बर 110 रकबा 0.47 है0, खसरा नम्बर 89 रकबा 0.47 है0 वाके ग्राम रूघनाथपुरा तहसील देवली जिला टोंक पर प्रार्थीगण का कब्जाकाश्त होने पर विधिवत् पत्थरगढी की जावे अन्यथा उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थी/प्रार्थीगण को उक्त आराजी भूमि की सीमाओ से अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली